श्री रघुवर दास
माननीय मुख्यमंत्री
झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड

प्रखण्ड कृषि चौपाल

दिनांक : 20.29 जून2018 स्थान : (सभी) प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय परिसर समय : पूर्वाह्न 9:00 बजे

मिट्टी जाँच

संतोषजनक फसलोत्पादन के लिए मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व पौधों को पर्याप्त मात्रा में सुलभ होना चाहिए, यह कथन सर्वविदित है।

मिट्टी जाँच, मिट्टी के पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता के निर्धारण की एक रासायनिक विधि है। इसके द्वारा ज्ञात होता है कि खेत में सुलभ अवस्था में पोषक तत्वों की कितनी मात्रा उपलब्ध है एवं किन तत्वों की कमी तथा किन तत्वों की अधिकता है।

यदि पोषक तत्वों की मात्रा फसल की जरूरत से कम है तो इसकी पूर्ति के लिए खेत में खाद डालना आवश्यक होता है। मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में सुलभ पोषक तत्व रहने पर भी यदि उर्वरकों का प्रयोग होता है तो मिट्टी में पोषक तत्वों का अनुपात बिगड़ जाता है, जो फसल के लिए हानिकारक होता है। इसके अतिरिक्त, जरूरत से अधिक उर्वरकों के प्रयोग से जल प्रदुषण की समस्या भी होती है। कृषि विकास की किसी भी योजना का, मृदा परीक्षण एक आवश्यक अंग है। मिट्टी जाँच के आधार पर विभिन्न फसलों के लिए उर्वरकों की आवश्यक मात्रा की संस्तुति की जाती है।

मिट्टी परीक्षण का मुख्य उद्देश्य

1. मिट्टी में उपस्थित पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की सुलभता तथा सही मात्रा ज्ञात करना।
2. मिट्टी परीक्षण द्वारा फसल की आवश्यकतानुसार उर्वरकों की सही मात्रा का निर्धारण करना।
3. समस्याग्रस्त मिट्टियों के लिए मृदा सुधारकों की सही मात्रा का निर्धारण करना जैसे अम्लीय मिट्टी सुधार के लिए चूना/डोलोमाईट की प्रयोग की मात्रा का निर्धारण।

मिट्टी परीक्षण हेतु मृदा गुण

मिट्टी जाँच प्रयोगशालाओं में मृदा उर्वरता जाँचने हेतु कई तत्वों का निर्धारण किया जाता है जैसे – (1) जैविक कार्बन, (2) सुलभ नाईट्रोजन, (3) सुलभ फॉस्फोरस, (4) सुलभ पोटैशियम, (5) मृदा पी0एच0, (6) वैद्युत चालकता, (7) अम्लीयता दूर करने हेतु चूने की आवश्यक मात्रा, (8) सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा।

फसल उत्पादन के लिए आवश्यक तत्वों का तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं।

(1) मुख्य पोषक तत्व – नाईट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश
(2) गौण पोषक तत्व – कैल्शियम, मैंग्नीज, और गंधक
(3) सूक्ष्म पोषक तत्व – जस्ता, ताँबा, लोहा, मैग्नीज एवं बोरोन

उपर्युक्त सभी तत्वों का फसल उत्पादन में अहम योगदान है, इनमे से किसी भी तत्व की कमी से फसल उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है।

राज्य सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर मिट्टी जाँच की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कृषक मित्र/ आर्या मित्र/ कृषक समूह/ सखी मंडल को मृदा परीक्षक (मिनी लैब) दिया जा रहा है, मिनी लैब के संचालनकर्त्ता आपके खेतों पर पहुँच कर वैज्ञानिक तरीके से मिट्टी का नमूना लेंगे एवं उसकी जाँच कर आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करायेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में आपके खेत की मृदा का जाँचोपरान्त पोषक तत्वों की स्थिति के आधार पर उर्वरक प्रयोग की सलाह दी जाती है।

इसमें विभिन्न आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा के संबंध में सिफारिशों को दर्शाया जाता है। इसके अलावा किसानों को उर्वरकों और उसकी मात्रा के संबंध में सलाह दी जाती है, जिसका उन्हें प्रयोग करना है और मृदा सुधारकों की भी स्थिति के बारे में सलाह दी जाती है, जिसे उन्हे प्रयोग करना चाहिए, जिससे उपज में आशातीत वृद्धि हो सके।

अतः आप सभी किसान भाईयों से निवेदन है कि आप सभी अपने–अपने खेत की मृदा का परीक्षण कराकर मृदा स्वास्थ कार्ड अवश्य बनवायें। मृदा स्वास्थ कार्ड में आपके खेत की स्थिति (रासायनिक पोषक तत्वों की स्थिति) के विषय में पूरी जानकारी रहने के साथ ही किस फसल में कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में देना होगा का विशेष उल्लेख रहता है। मृदा स्वास्थ कार्ड प्राप्त होने के बाद अगले तीन वर्षों तक आप दिए गये सुझाव के अनुसार फसलवार उर्वरकों का प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उर्वरक की अनुशंसित मात्रा देने से अनावश्यक रूप से उर्वरक पर होने वाले खर्च से भी बचा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप अपने मृदा को अनावश्यक रासायनिक खाद दे कर खराब होने से बचा सकते हैं एवं प्रकृति के संरक्षण में भी अपना योगदान दे सकते है।

खेत की मिट्टी की जाँच करावें, ।
लहलहाती फसल से अधिक उपज पावें।।

अधिक जानकारी के लिए जिले के जिला कृषि पदाधिकारी/ परियोजना निदेशक (आत्मा) से सम्पर्क करें।
कृषि एवं संबंधित क्षेत्रीय तकनीकी जानकारी हेतु

किसान कॉल सेन्टर - 1800-180-1551 (निःशुल्क सेवा)

किसान सहायता कोषांग : 7632996429

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
जिला कृषि पदाधिकारी, राँची